

अध्याय 1: विहंगावलोकन

1.1 राज्य का प्रोफाइल

हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी के पास स्थित है। इसके 22 जिलों में से 14 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं। यह 44,212 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 21वें स्थान पर है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के जनसंख्या अनुमान के अनुसार, राज्य की जनसंख्या 3.02 करोड़ थी, जो देश की जनसंख्या का 2.18 प्रतिशत है और जनसंख्या के मामले में राज्यों में 17वें स्थान पर है। राज्य का जनसंख्या घनत्व 683.28 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो राष्ट्रीय औसत 422.26 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या की प्रतिशतता 11.16 थी जो अखिल भारतीय औसत 21.92 से कम है। राज्य की साक्षरता दर 67.91 प्रतिशत (2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 75.60 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गई (*परिशिष्ट 1.1*)।

1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.), एक निश्चित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का बढ़ना राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि सामान्यतः प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित की जाती है जिनका संबंध कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों से है।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रवृत्तियां *तालिका 1.1* में दर्शाई गई हैं; और 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान और क्षेत्रीय वृद्धि को क्रमशः *चार्ट 1.1* और *1.2* में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1: सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) में प्रवृत्तियाँ (वर्तमान मूल्यों पर)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रृंखला)	1,88,99,668	2,01,03,593	1,98,29,927	2,34,71,012	2,72,40,712
सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए.)	1,71,75,128	1,83,81,117	1,81,88,780	2,14,38,883	2,47,42,871
गत वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.59	6.37	(-)1.36	18.36	16.06
पिछले वर्ष की तुलना में सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए.) की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.03	7.02	(-)1.05	17.87	15.41
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (₹ में)	1,42,424	1,49,915	1,46,301	1,71,498	1,96,983
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) (2011-12 श्रृंखला)	6,98,940	7,32,195	7,41,850	8,70,665	9,94,154
राज्य सकल मूल्य वर्धित (जी.एस.वी.ए.)	6,23,848	6,51,152	6,45,241	7,60,935	8,70,227
गत वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.41	4.76	1.32	17.36	14.18
गत वर्ष की तुलना में राज्य सकल मूल्य वर्धित की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	14.42	4.38	(-)0.91	17.93	14.36
प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ में)	2,47,798	2,55,958	2,55,713	2,95,923	3,33,162

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

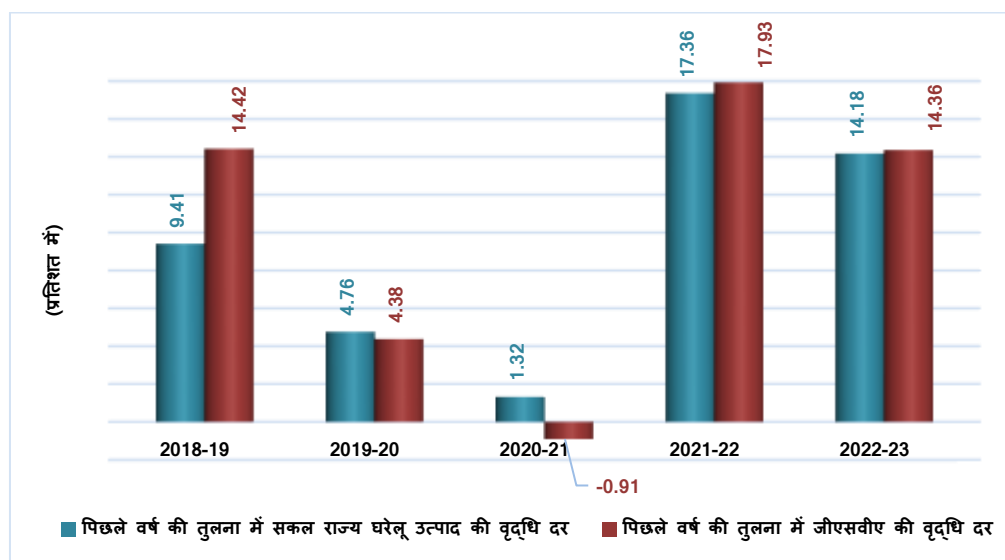
वर्तमान मूल्यों पर 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 9,94,154 करोड़ था और वर्तमान मूल्यों पर 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद ₹ 2,72,40,712 करोड़ था। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 3,33,162 था जबकि देश का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 1,96,983 था। 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य के प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि 34.45 प्रतिशत थी, जबकि इसी अवधि के दौरान देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 38.31 प्रतिशत थी। राज्य का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत जो 2018-19 में देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से 73.99 प्रतिशत अधिक था, वर्ष 2022-23 के अंत में घटकर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का 69.13 प्रतिशत हो गया था।

सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) का उपयोग भारत सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जा रहा है। सकल मूल्य वर्धित को सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक माना जाता है, क्योंकि यह करों और सब्सिडी के प्रभाव को नजरअंदाज करता है। जबकि सकल घरेलू उत्पाद की गणना निजी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय और सकल अचल पूंजीगत सृजन या निवेश व्यय सहित अर्थव्यवस्था में किए गए विभिन्न व्ययों के योग के रूप में की

जा सकती है, जो अनिवार्य रूप से अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति को दर्शाती है। दोनों उपायों में निवल करों के प्रतिपादन में अंतर है जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में करों का समावेश वास्तविक उत्पादन स्थिति से भिन्न हो सकता है। नीति निर्माता के दृष्टिकोण से बेहतर विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेप के लिए सकल मूल्य वर्धित और राज्य सकल मूल्य वर्धित (जीएसवीए) डेटा की तुलना करना महत्वपूर्ण है।

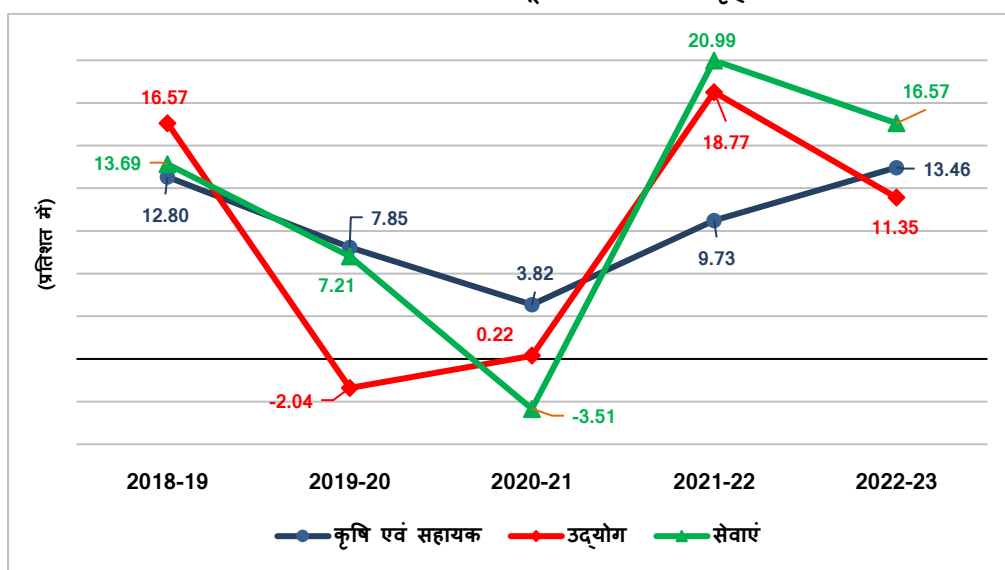
2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद और राज्य सकल मूल्य वर्धित की प्रवृत्तियां चार्ट 1.1 में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 1.1: सकल राज्य घरेलू उत्पाद बनाम राज्य सकल मूल्य वर्धित की वृद्धि दर (2018-19 से 2022-23)



स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

चार्ट 1.2: सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय वृद्धि



स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय वृद्धि में 2018-19 से 2020-21 के दौरान सभी तीन क्षेत्रों में गिरावट देखी गई और उसके बाद 2021-22 में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई थी। 2022-23 में, पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में उप-गतिविधियाँ अर्थात् विनिर्माण, निर्माण, रेलवे, सड़क परिवहन, परिवहन से जुड़ी सेवाओं आदि की वृद्धि दर में कमी के कारण उद्योग और सेवा क्षेत्रों में गिरावट देखी गई। इसके अलावा, कृषि एवं सहायक क्षेत्र की विकास दर में वृद्धि मुख्य रूप से 2020-21 से 2022-23 के दौरान फसलों, पशुधन, मछली पकड़ने और जलीय कृषि में वृद्धि दर में वृद्धि के कारण देखी गई।

1.2 राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार राज्य के लेखों से संबंधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं, जो उन्हें राज्य की विधानसभा के सामने प्रस्तुत करवाएंगे। राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारतीय संविधान के उक्त अनुच्छेद के अंतर्गत तैयार तथा प्रस्तुत किया जाता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) वार्षिक रूप से राज्य के वित्त लेखों एवं विनियोग लेखों को खजानों, कार्यालयों और राज्य सरकार के अधीन कार्य करने वाले विभागों, जो इन लेखों को रखने के उत्तरदायी हैं, द्वारा प्रदान किए गए वाउचरों, चालानों और प्रारंभिक एवं संबंधित लेखों एवं भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणियों से तैयार करता है। इन लेखों की लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की जाती है और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा प्रमाणित की जाती है।

इस प्रतिवेदन के लिए मूल सामग्री राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोजन लेखे हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य का बजट: राजकोषीय मानदंडों और आबंटन वरीयताओं अर्थात् परिपेक्ष्यों के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभाविकता और प्रासंगिक नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन के मूल्यांकन के लिए;
- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकारियों और खजानों के पास उपलब्ध अन्य डाटा;
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद का डाटा और राज्य से संबंधित अन्य आंकड़े; और
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

यह विश्लेषण पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम 2005 और भारत सरकार (भा.स.) के श्रेष्ठतम प्रचलनों और मार्गनिर्देशों के संदर्भ में भी किया जाता है।

1.3 सरकारी लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

भाग I: राज्य की समेकित निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार से प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, ऋण-पत्र, केंद्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि, इत्यादि को जारी विशेष प्रतिभूतियां), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किए गए अर्थोपाय अग्रिम और ऋणों की अदायगी में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन सम्मिलित हैं। इस निधि से भारतीय संविधान में निहित कानून के अनुसार और उद्देश्य के अतिरिक्त किसी भी तरह से धन का विनियोग नहीं किया जा सकता। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण अदायगियां, इत्यादि) राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित (प्रभारित व्यय) होते हैं और विधानसभा द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधानसभा द्वारा मतदान के अधीन है।

भाग II: राज्य की आकस्मिक निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जो कि राज्य विधानसभा द्वारा कानूनी रूप से स्थापित की जाती है और राज्यपाल के नियंत्रण में, विधानसभा के अनुमोदन के लंबित रहते आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है। इस निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से संबंधित क्रियाशील मुख्य शीर्ष के व्यय को डेबिट करके की जाती है।

भाग III: राज्य के लोक लेखे (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपर्युक्त के अलावा, प्राप्त सभी लोक धन जो कि सरकार द्वारा अथवा सरकार के पक्ष में प्राप्त होता है जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी की भूमिका निभाती है, लोक लेखा में जमा किए जाते हैं। लोक लेखा में लघु बचतें और भविष्य निधियां, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित) अग्रिम, आरक्षित निधियां (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित) प्रेषण और उचत शीर्ष (जो कि दोनों, अंतिम निपटान के लंबित रहते अंतरण शीर्ष हैं) जैसे वापसी योग्य सम्मिलित हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी लोक लेखा के अधीन शामिल है। लोक लेखा विधानसभा के मतदान का विषय नहीं है।

बजट दस्तावेज

भारत में संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202) कि राज्य के विधानमंडल के सदन के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय की एक विवरणी प्रस्तुत की जाती है। 'वार्षिक वित्तीय विवरणी' में मुख्य बजट दस्तावेज हैं। आगे, बजट में राजस्व लेखा पर व्यय को अन्य व्ययों से अलग होना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (स्वयं का कर राजस्व, केंद्रीय करों/शुल्कों का हिस्सा), गैर-कर राजस्व और भारत सरकार से अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता है। इसका संबंध सरकारी और अन्य सेवाओं के सामान्य कार्यचालन हेतु सरकार द्वारा ऋण पर किए गए ब्याज भुगतानों, विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदानों (यद्यपि कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के सृजन हेतु हो सकते हैं) हेतु किए गए व्यय से है।

पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल हैं:

- **ऋण प्राप्तियां:** बाजार ऋण, बॉण्ड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेनदेन और केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम, इत्यादि, तथा
- **गैर-ऋण प्राप्तियां:** विनिवेश से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां।

पूंजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश और भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य पक्षों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम पर किए गए व्यय शामिल हैं।

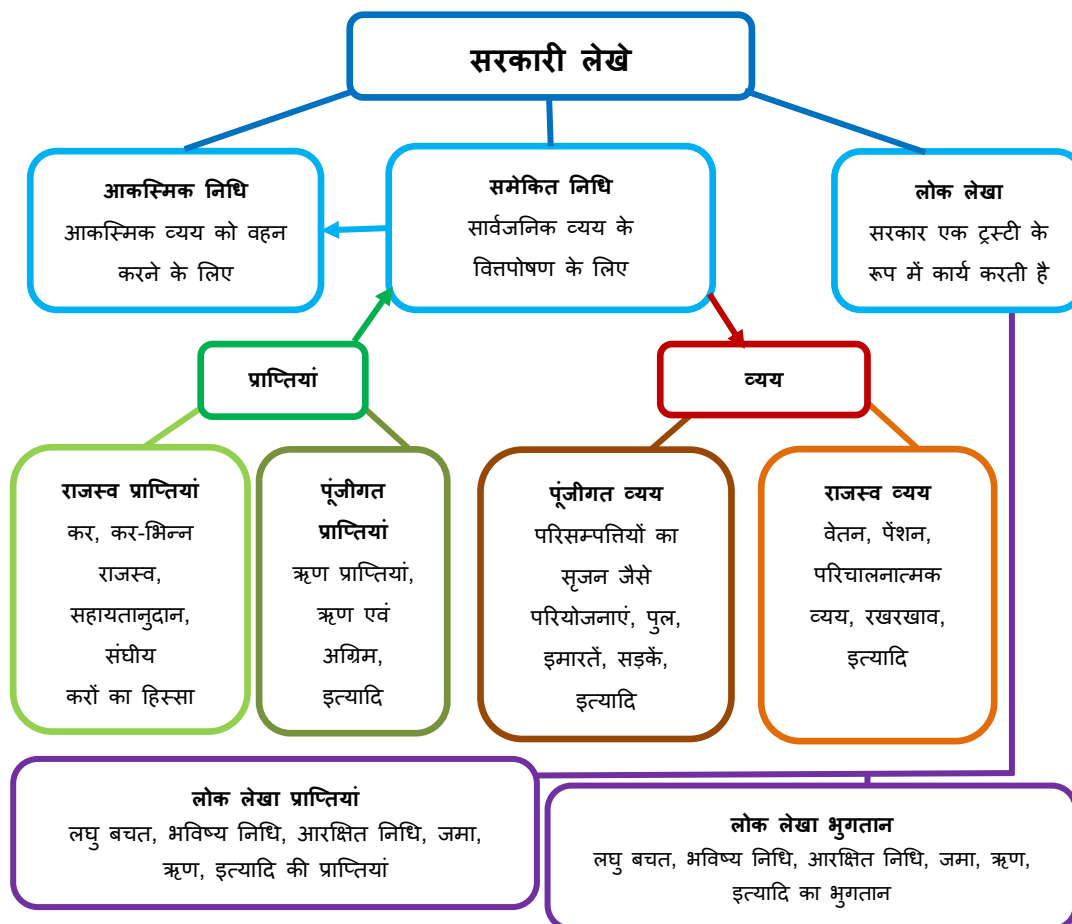
वर्तमान में, सरकार में एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है।

	लेन-देन की विशेषता	वर्गीकरण
लेखा महानियंत्रक द्वारा मुख्य और लघु शीर्षों की सूची में मानकीकृत	कार्य - शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि/विभाग	अनुदानों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (4-अंक)
	उप-कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (2-अंक)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंक)
राज्यों के लिए छोड़ी गई नम्यता	योजना	उप-शीर्ष (2-अंक)
	उप-योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंक)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	उद्देश्य शीर्ष - वेतन, लघु निर्माण कार्य, इत्यादि (2-अंक)

कार्यात्मक वर्गीकरण से विभाग, कार्य, योजना अथवा कार्यक्रम और व्यय के उद्देश्य का पता चलता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूंजीगत, ऋण आदि के रूप में व्यवस्थित करने में सहायता करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय मुख्य शीर्षों के पहले अंक में अंतर्निहित नंबरिंग लॉजिक द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, राजस्व प्राप्तियों के लिए 0 और 1, राजस्व व्यय के लिए 2 और 3, आदि। आर्थिक वर्गीकरण कुछ प्रयोजन शीर्षों की अंतर्निहित परिभाषा और वितरण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, सामान्यतः "वेतन" प्रयोजन शीर्ष राजस्व व्यय है, "निर्माण" प्रयोजन शीर्ष पूंजीगत व्यय है। प्रयोजन शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

सरकारी लेखों की संरचना

चार्ट 1.3: सरकारी लेखों की संरचना



स्रोत: बजट मैनुअल पर आधारित

लोक ऋण और सार्वजनिक देयता: इस प्रतिवेदन में 'लोक ऋण' में बाजार उधार, संस्थागत ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियों, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों आदि को शामिल किया गया है। इस प्रयोजन के लिए मुख्य शीर्ष 6003 एवं 6004-लोक ऋण को ध्यान में रखा गया है।

इसके अलावा, लोक लेखा के अंतर्गत 'लघु बचत, भविष्य निधि, आदि', 'आरक्षित निधि' और 'जमा एवं अग्रिम' से संबंधित लेनदेन ऐसे होते हैं कि सरकार प्राप्त धन को चुकाने के लिए बाध्य होती है या भुगतान की गई राशि को वसूल करने का दावा करती है। लोक लेखा के अंतर्गत 'प्रेषण' और 'उचंत' से संबंधित लेन-देन में खजानों और करसी चेस्टों के मध्य नकदी के प्रेषण और विभिन्न लेखा सर्कल के मध्य अंतरण जैसे लेनदेन को समायोजित करना शामिल है।

इस प्रतिवेदन में, 'सार्वजनिक देयता' में मुख्य शीर्ष 8001 से 8554 के अंतर्गत 'लघु बचत, भविष्य निधि, आदि', 'आरक्षित निधि' और 'जमा एवं अग्रिम' से संबंधित लेनदेन के साथ-साथ मुख्य शीर्ष 6003 और 6004 के अंतर्गत लेनदेन को शामिल किया गया है।

बजटीय प्रक्रियाएं

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल द्वारा वर्ष 2022-23 के

लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय की विवरणी को **वार्षिक वित्तीय विवरणी** के रूप में राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करवाना है। अनुच्छेद 203 के अनुसार, विवरणी राज्य विधानसभा को अनुदानों/विनियोगों के लिए मांग के रूप में प्रस्तुत की जाती है और इनके अनुमोदन के बाद समेकित निधि में से अपेक्षित धन के विनियोग प्रदान करने हेतु अनुच्छेद 204 के अंतर्गत विधानसभा द्वारा विनियोग बिल पारित किया जाता है।

हरियाणा में लागू पंजाब बजट मैनुअल बजट तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य सरकार को बजटीय अनुमान तैयार करने और इसके व्यय की गतिविधियों की निगरानी करने में मार्गदर्शन करता है। बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम और राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहलों के कार्यान्वयन का विवरण इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 में दिया गया है।

1.3.1 वित्तों के स्नैपशॉट

तालिका 1.2 में वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान (बी.ई.) और सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में वर्ष 2021-22 और 2022-23 के वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.2: बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणामों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2021-22 (वास्तविक)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (वास्तविक)	वास्तविक से बजट अनुमान की प्रतिशतता	वास्तविक से स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता
1	कर राजस्व	63,099.32	82,653.48	73,338.80	88.73	7.38
	(i) स्व-कर राजस्व	53,377.16	73,727.50	62,960.80	85.40	6.33
	(ii) संघीय करों/शुल्कों का अंश	9,722.16	8,925.98	10,378.00	116.27	1.04
2	कर-भिन्न राजस्व	7,394.13	12,205.36	8,742.63	71.63	0.88
3	सहायता अनुदान एवं अंशदान	7,598.24	11,565.86	7,113.26	61.50	0.72
4	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	78,091.69	1,06,424.70	89,194.69	83.81	8.97
5	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	500.24	766.87	237.75	31.00	0.02
6	अन्य प्राप्तियां	67.15	5,393.89	73.91	1.37	0.01
7	उधार एवं अन्य देयताएं (क)	31,777.78	29,618.32	31,026.88	104.76	3.12
8	पूँजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	32,345.17*	35,779.08	31,338.54	87.59	3.15
9	कुल प्राप्तियां (4+8)	1,10,436.86	1,42,203.78	1,20,533.23	84.76	12.12
10	राजस्व व्यय (ख)	98,425.03	1,16,198.63	1,06,406.21	91.57	10.70
11	ब्याज भुगतान	18,361.60	20,994.48	20,095.57	95.72	2.02
12	पूँजीगत व्यय	12,011.83	26,005.15	14,127.02	54.32	1.42
	(i) पूँजीगत परिव्यय	11,045.56	22,343.56	11,664.95	52.21	1.17
	(ii) संवितरित ऋण एवं अग्रिम	966.27	3,661.59	2,462.07	67.24	0.25
13	आकस्मिक निधि का विनियोजन	0.00	0	0.00	0.00	0.00
14	कुल व्यय (10+12+13)	1,10,436.86	1,42,203.78	1,20,533.23	84.76	12.12
15	राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+) (4-10)	(-)20,333.34	(-)9,773.93	(-)17,211.52	176.10	1.73
16	राजकोषीय घाटा (-)/ आधिक्य (+)((4+5+6)-14)	(-)31,777.78	(-)29,618.32	(-)31,026.88	104.76	3.12
17	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+) (16-11)	(-)13,416.18	(-)8,623.84	(-)10,931.31	126.76	1.10

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख और बजट एक नजर में।

(क) उधार एवं अन्य देयताएं: लोक ऋण के निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + आकस्मिक निधि का निवल + लोक लेख के निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारंभिक एवं अंतिम नकद शेष के निवल।

(ख) राजस्व खाते पर व्यय में ब्याज भुगतान शामिल हैं।

* इसमें वर्ष 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹ 7,393.79 करोड़ शामिल हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान, तथापि राज्य की राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में 14.22 प्रतिशत बढ़ी, लेकिन बजट अनुमान से 16.19 प्रतिशत कम रही। चालू वर्ष के दौरान, राजस्व प्राप्तियों (₹ 89,194.69 करोड़) से अधिक राजस्व व्यय (₹ 1,06,406.21 करोड़) था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 17,211.52 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ।

राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से राज्य वस्तु एवं सेवा कर ₹ 5,654.41 करोड़, राज्य उत्पाद शुल्क ₹ 1,739.95 करोड़, वाहनों पर कर ₹ 966.58 करोड़, स्टॉप एवं पंजीकरण ₹ 1,008.75 करोड़ और गैर-कर राजस्व (₹ 1,348.50 करोड़) के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई। इसके अलावा वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्रीय करों की निवल आय के हिस्से के अंतरण में भी ₹ 655.84 करोड़ की वृद्धि हुई।

1.3.2 सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का स्नैपशॉट

सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से सृजित परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हैं। 31 मार्च 2023 तक ऐसी देयताओं और परिसंपत्तियों का सार गत वर्ष की तत्कालीन स्थिति से तुलना को **परिशिष्ट 1.2** में दर्शाया गया है। देयताओं में मुख्यतः आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखों और आरक्षित निधियों से प्राप्तियां शामिल होती हैं और परिसंपत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम और नकद शेष शामिल होते हैं। परिसंपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 1.3** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.3: परिसंपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं					परिसंपत्तियां			
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	प्रतिशत वृद्धि		31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	प्रतिशत वृद्धि	
समेकित निधि								
क	आंतरिक कर्ज	2,26,208.23	2,52,780.77	11.75	क	सकल पूंजीगत परिव्यय	1,29,013.56	1,40,604.60
ख	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	13,234.58 ¹	14,290.07	7.98	ख	ऋण एवं अग्रिम	8,350.07	10,574.39
आकस्मिक निधि		1,000.00	1,000.00	0.00				
लोक लेखा								
क	लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	18,394.45	18,663.82	1.46	क	अग्रिम	0.74	0.74
ख	जमा	11,724.95	12,110.24	3.29	ख	प्रेषण	-	-
ग	आरक्षित निधियां	8,848.92	10,258.96	15.93	ग	उत्तं एवं विविध	-	-
घ	उत्तं एवं विविध शेष	241.40	425.44	76.24		नकद शेष (चिह्नित निधि में निवेश सहित)	4,946.11	3,833.55
ड	प्रेषण	314.60	352.16	11.94		कुल	1,42,310.48	1,55,013.28
						राजस्व लेखा में घाटा	1,37,656.65	1,54,868.18 ¹
कुल		2,79,967.13	3,09,881.46	10.68	कुल		2,79,967.13	3,09,881.46

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- इसमें वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में क्रमशः ₹ 4,352 करोड़ और ₹ 7,393.79 करोड़ शामिल हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से चुकाया नहीं जाना है।

¹ आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण ₹ 0.02 करोड़ शामिल हैं।

1.4 राजकोषीय शेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

जब सरकार एकत्र राजस्व से अधिक व्यय करती है तो यह घाटा होता है। ऐसे कई उपाय हैं जो सरकारी घाटे को अधिकृत करते हैं।

घाटे को उधार से पूरा किया जाता है जिससे सरकारी ऋण बढ़ता है। घाटे और ऋण की धारणाओं में निकट का संबंध है। घाटे को एक प्रवाह के रूप में माना जा सकता है जो ऋण स्टॉक में वृद्धि करता है। यदि सरकार साल-दर-साल उधार लेना जारी रखती है तो इसके परिणामस्वरूप ऋण का संचय होगा और सरकार को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक भुगतान करना पड़ेगा। ये ब्याज भुगतान स्वयं ऋण में योगदान करेंगे।

उधार लेकर सरकार कम हुए उपभोग का भार भावी पीढ़ियों पर डालती है। यह इसलिए है क्योंकि यह वर्तमान में रहने वाले लोगों को बॉण्ड जारी करके उधार लेती है परंतु कुछ बीस वर्ष बाद कर बढ़ाकर या व्यय कम करके बॉण्ड्स चुकाने का निर्णय ले सकती है। साथ ही सरकार द्वारा लोगों से उधार लेने के कारण निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध बचतों को भी कम करता है। इस हद तक कि यह पूंजीगत सृजन और विकास को कम करता है, ऋण भावी पीढ़ियों पर 'भार' के रूप में कार्य करता है।

तथापि, यदि सरकारी घाटे उनके उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य में सफल हों तो और अधिक आय होगी और इसलिए अधिक बचत होगी। इस मामले में सरकार और उद्योग दोनों अधिक उधार ले सकते हैं। इसके अलावा, यदि सरकार अवसंरचना में निवेश करती है, भावी पीढ़ी बेहतर हो सकती है, बशर्ते ऐसे निवेश पर रिटर्न ब्याज दर से अधिक हो। उत्पादन में वृद्धि से वास्तविक ऋण का भुगतान किया जा सकता है। तब ऋण को भार नहीं समझा जाएगा। ऋण में वृद्धि को समग्र रूप से अर्थव्यवस्था (राज्य सकल घरेलू उत्पाद) की वृद्धि से आंकना होगा।

सरकारी घाटे को करों में वृद्धि या व्यय में कमी द्वारा कम किया जा सकता है। तथापि, अधिक बल सरकारी व्यय में कमी की तरफ ही रहा है। सरकारी गतिविधियों को कार्यक्रमों की बेहतर योजना और बेहतर प्रशासन के माध्यम से अधिक कुशल बनाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है।

केंद्र और अलग-अलग राज्य सरकारों ने एक मध्यम अवधि के ढांचे में राजस्व घाटे को खत्म करने, राजकोषीय घाटे और समग्र/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक कम करने, बेहतर ऋण प्रबंधन स्थापित करने और पारदर्शिता में सुधार करके राजकोषीय प्रबंधन में विवेक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम पारित किए हैं। इस संदर्भ में, ये अधिनियम घाटे के उपायों और ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा अनुपालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्य प्रदान करते हैं।

हरियाणा में राजस्व घाटा दूर करने और राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा में रखने के उद्देश्य से 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 06 जुलाई 2005 को राजकोषीय उत्तरदायित्व

एवं बजट प्रबंधन (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम करके राज्य सरकार ने राजकोषीय सुधार एवं समेकन को प्राथमिकता दी। राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को किसी विशेष वर्ष में प्रचलित राजकोषीय मापदंडों के साथ संरेखित करने के लिए, जैसा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित और भारत सरकार द्वारा इसकी प्रदानगी अवधि 2021-22 से 2025-26 के लिए अनुमोदित किया गया है, हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में राज्य सरकार द्वारा 30 मार्च 2022 को संशोधन किया गया था।

मुख्य राजकोषीय घटकों के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, बजट प्रावधानों तथा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) के लक्ष्यों का तुलनात्मक अध्ययन **तालिका 1.4** तथा **तालिका 1.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: अनुमानों से प्रमुख तथा राजकोषीय संकेतकों में भिन्नताएं (स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता)

राजकोषीय संकेतक	2022-23						
	15वें वित्त आयोग द्वारा यथा निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	पांच वर्षीय राजकोषीय योजना/ म.अ.रा.नी. में किए गए अनुमान	वास्तविक	अनुमानों से वास्तविकों की भिन्नता		
					15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	पांच वर्षीय राजकोषीय योजना/ म.अ.रा.नी. के अनुमान
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	0.80	(-) 0.98	(-) 0.98	(-) 1.73	(-) 2.53	(-) 0.75	(-) 0.75
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	(-) 3.50	(-) 2.98	(-) 2.98	(-) 3.12	0.38	(-) 0.14	(-) 0.14
कुल बकाया देयता का स.रा.घ.उ. से अनुपात*	31.40	24.52	24.52	29.48	(-) 1.92	4.96	4.96

* वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से क्रमशः ₹ 4,352 करोड़ और ₹ 7,393.79 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020/दिसंबर 2021) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।

वित्त लेखों के अनुसार कुल बकाया देयता अनुपात से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 30.67 प्रतिशत है। कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 11,745.79 करोड़ के वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे को छोड़कर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (29.48 प्रतिशत) के लिए ऋण की गणना की गई है, क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इसे किसी भी मानदंड के लिए राज्य सरकार के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा जो वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

आगे, यदि हम समेकित ऋण शोधन निधि में कम अंशदान और परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत शेष राशि में ब्याज का भुगतान न करने के कारण ₹ 1,013.64 करोड़ का कम विवरण लेते हैं (जैसा कि पैराग्राफ 1.5.1 में दर्शाया गया है), तो राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा 0.10 प्रतिशत तक अधिक हो जाएगा।

तालिका 1.5: 2022-23 के लिए वास्तविकों की तुलना में मध्य अवधि राजकोषीय नीति में अनुमान

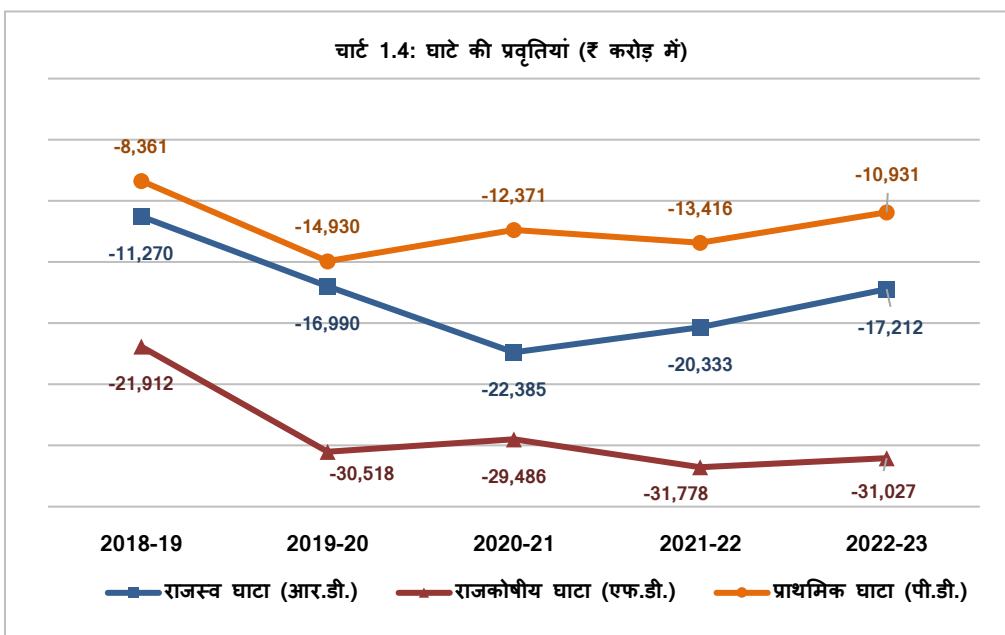
(₹ करोड़ में)

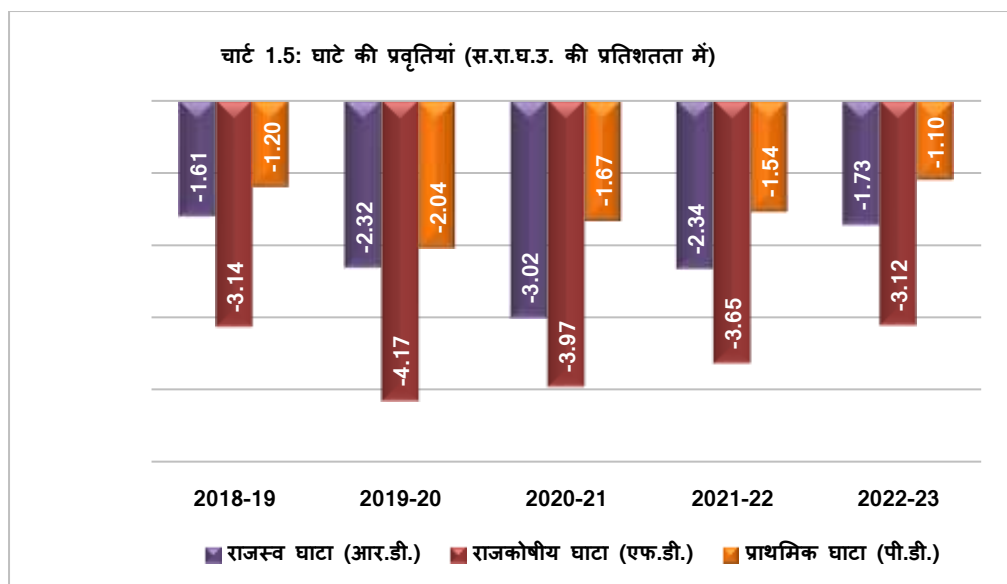
क्र. सं.	राजकोषीय संकेतक	म.अ.रा.नी. के अनुसार अनुमान	वास्तविक (2022-23)	भिन्नता (प्रतिशत में)
1	स्व-कर राजस्व	73,727.50	62,960.80	(-) 14.60
2	गैर-कर राजस्व	12,205.36	8,742.63	(-) 28.37
3	केंद्रीय करों एवं शुल्कों का हिस्सा	8,925.98	10,378.00	16.27
4	भारत सरकार से सहायता अनुदान	11,565.86	7,113.26	(-) 38.50
5	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4)	1,06,424.70	89,194.69	(-) 16.19
6	राजस्व व्यय	1,16,198.63	1,06,406.21	(-) 8.43
7	राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+) (5-6)	(-) 9,773.93	(-) 17,211.52	(-) 76.10
8	राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-) 29,618.32	(-) 31,026.88	(-) 4.76
9	ऋण - स.रा.घ.उ. अनुपात (प्रतिशत)	24.52	29.48*	20.23
10	वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. वृद्धि दर (प्रतिशत)	11	14.18	28.91

* वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से ₹ 11,745.79 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020/दिसंबर 2021) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।

वर्ष 2022-23 के दौरान, केंद्रीय करों एवं शुल्कों के हिस्से को छोड़कर राजस्व प्राप्तियों के सभी घटकों में 14.60 प्रतिशत और 38.50 प्रतिशत के मध्य की कमी के कारण सरकार मध्य अवधि राजकोषीय नीति में अनुमानित स्तर के साथ राजस्व घाटे को नियंत्रित करने में असमर्थ थी जिसमें 16.27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। परिणामस्वरूप, राजकोषीय घाटा भी मध्य अवधि राजकोषीय नीति में अनुमानित लक्ष्य से 4.76 प्रतिशत अधिक हो गया।

चार्ट 1.4 और चार्ट 1.5 2018-23 की अवधि में क्रमशः घाटे के मापदंडों में प्रवृत्तियों और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।





- **राजस्व घाटा**, जो राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता को दर्शाता है, 2021-22 के दौरान ₹ 20,333 करोड़ था लेकिन 2022-23 में घटकर ₹ 17,212 करोड़ हो गया जो ₹ 9,774 करोड़ के बजट अनुमान से अधिक था। 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में हरियाणा राज्य को वर्ष 2022-23 के लिए राजस्व अधिशेष राज्य के रूप में प्रस्तुत किया था, लेकिन इसे प्राप्त नहीं किया जा सका।

₹ 17,212 करोड़ का राजस्व घाटा इंगित करता है कि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी और उधार ली गई निधियों का उपयोग पूंजीगत सृजन की जगह वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था।

- **राजकोषीय घाटा** जो राज्य की कुल उधारी, अर्थात् इसके कुल संसाधन अंतर को दर्शाता है, 2021-22 में ₹ 31,778 करोड़ था, 2022-23 के दौरान से घटकर ₹ 31,027 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा, मध्य अवधि राजकोषीय नीति और बजट अनुमानों में 2.98 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.12 प्रतिशत था, लेकिन 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत निर्धारित 3.5 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर था।
- **प्राथमिक घाटा**, जो गैर-ऋण प्राप्तियों पर प्राथमिक व्यय (ब्याज भुगतान का निवल कुल व्यय) की अधिकता को इंगित करता है, 2021-22 में ₹ 13,416 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹ 10,931 करोड़ हो गया। प्राथमिक घाटे की विद्यमानता इंगित करती है कि राज्य को अपनी उधार ली गई निधियों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए भी धन उधार लेने की आवश्यकता होगी।

1.5 लेखापरीक्षा में जांच के बाद घाटा और कुल ऋण

1.5.1 राजस्व और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

राज्य के लिए गणना के अनुसार राजस्व और राजकोषीय घाटा विभिन्न परिस्थितियों जैसे कि ऋण शोधन निधि में कम अंशदान, स्पष्ट देयताओं के स्थगन आदि के कारण प्रभावित होता है। वास्तविक घाटे के आंकड़ों तक पहुंचने के लिए, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा न करने, ऋण शोधन और मोचन निधियों आदि के प्रभाव की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत समेकित ऋण शोधन निधि में कम अंशदान और शेष राशि में ब्याज के गैर-समायोजन के कारण राजस्व और राजकोषीय घाटा ₹ 1,013.64 करोड़ कम बताया गया था जैसा कि **तालिका 1.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: राजस्व एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव (अवकथित) (₹ करोड़ में)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (अवकथित) (₹ करोड़ में)	निवल प्रभाव से पहले अनुपात (प्रतिशत में)		निवल प्रभाव के बाद अनुपात (प्रतिशत में)	
			राजस्व घाटा/ स.रा.घ.उ.	राजकोषीय घाटा/ स.रा.घ.उ.	राजस्व घाटा/ स.रा.घ.उ.	राजकोषीय घाटा/ स.रा.घ.उ.
समेकित ऋण शोधन निधि में कम अंशदान	1,012.31	1,012.31				
सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में ब्याज का भुगतान न करना	1.33	1.33	(-) 1.73	(-) 3.12	(-) 1.83	(-) 3.22
कुल	1,013.64	1,013.64				

स्रोत: वित्त लेखे

2022-23 के दौरान, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹ 17,211.52 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.73 प्रतिशत) और ₹ 31,026.88 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.12 प्रतिशत) था, जैसा कि **चार्ट 1.4** और **1.5** में दर्शाया गया है। यदि उपर्युक्त लेन-देन को ध्यान में रखा जाए, तो वास्तविक राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹ 18,225.16 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.83 प्रतिशत) और ₹ 32,040.52 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.22 प्रतिशत) होगा और वास्तविक राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा मध्य अवधि राजकोषीय नीति लक्ष्य क्रमशः ₹ 8,451.23 करोड़ (86.47 प्रतिशत) और ₹ 2,422.20 करोड़ (8.18 प्रतिशत) से अधिक होगा। इस प्रकार, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के राजस्व घाटे के साथ-साथ सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में राजकोषीय घाटे को 0.10 प्रतिशत अंक से कम करके आंका गया है।

1.5.2 लेखापरीक्षा पश्चात - कुल लोक ऋण

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार, कुल देयताओं का अर्थ है राज्य की समेकित निधि और राज्य के लोक लेखा के अंतर्गत देयताएं इसमें सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा उधार, विशेष प्रयोजन वाहनों और गारंटी सहित अन्य समकक्ष

उपकरणों जहां मूल और/या ब्याज राज्य बजट में से आहरित किए जाने हैं। लंबित ऋणों/देयताओं को विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है जैसा कि **तालिका 1.7** में दिया गया है।

तालिका 1.7: बकाया ऋण/देयताओं के घटक

(₹ करोड़ में)

समेकित निधि पर देयताएं (लोक ऋण)	राशि
आंतरिक ऋण (क)	2,52,780.77
ब्याज वाले बाजार ऋण	2,19,185.53
बिना ब्याज वाले बाजार ऋण	0.02
प्रतिकर और अन्य बांड	17,300.00
बैंकों तथा अन्य संस्थानों इत्यादि से ऋण	9,266.97
केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	6,356.48
अन्य	671.77
केंद्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम (ख)	14,290.07*
गैर-योजना ऋण	5.99
राज्य योजना स्कीमों के लिए ऋण	631.48
अन्य	13,652.60
लोक लेखों पर देयताएं (ग)	37,797.53
लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	18,663.82
जमा	12,110.25
आरक्षित निधियां	7,023.46
कुल (क+ख+ग)	3,04,868.37

स्रोत: वित्त लेखे

- * इसमें वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को ₹ 11,745.79 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण शामिल हैं, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020/दिसंबर 2021) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा कुल देयताओं का अनुपात मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी और बजट के अंतर्गत 24.52 प्रतिशत के मानक निर्धारण की तुलना में 29.48 प्रतिशत की दर पर अधिक था, लेकिन 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के भीतर था।

इसके अलावा, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीएचसीएल) ने इन ऋणों के लिए राज्य सरकार की गारंटी के विरुद्ध हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) से ₹ 550 करोड़ (अक्टूबर 2015) और ₹ 300 करोड़ (जनवरी 2011) की राशि के दो ऋण उठाए। गृह विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा जारी स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, मूलधन के साथ-साथ ब्याज का पुनर्भुगतान ऋण करार के अनुसार किया जाएगा और राज्य सरकार हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को पुनर्भुगतान करने के लिए ब्याज सहित ऋण करार में निर्धारित राशि के अनुसार बजट में निधियों का वार्षिक आबंटन करेगी। वित्त विभाग मूलधन और ब्याज दोनों के पुनर्भुगतान के लिए हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को अपेक्षित निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के पैरा 10(3) के अनुसार, जब राज्य सरकार किसी अलग कानूनी इकाई की देयताओं को बिना शर्त और पर्याप्त रूप से चुकाने का कार्य करती है, तो उसे राज्य की उधारी के रूप में ऐसी देयता को दर्शाना होगा। हरियाणा पुलिस

हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उठाए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए हरियाणा सरकार की देयता (₹ 845.35 करोड़, जिसमें से ₹ 22.05 करोड़ 2022-23 के दौरान उठाए गए थे) को लेखों में हरियाणा सरकार के ऋण के रूप में दर्शाया नहीं गया था।

वर्ष 2022-23 के दौरान, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) को इन ऋणों के लिए ₹ 85 करोड़ (₹ 55 करोड़ जमा ₹ 30 करोड़) की राशि चुकाई, जबकि वर्ष के प्रारंभ अर्थात् 1 अप्रैल 2022 को बकाया ऋण राशि ₹ 342.05 करोड़ थी। वर्ष के दौरान ₹ 22.05 करोड़ जुटाए गए हैं, जबकि वर्ष के अंत अर्थात् 31 मार्च 2023 को शेष राशि ₹ 279.10 करोड़ है। इस प्रकार, उस सीमा तक उधार को कम बताने के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा 0.01 प्रतिशत कम बताया गया।